

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 14 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(2) यह 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 10 की उप-धारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "पचास लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 10 का संशोधन.
3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खंड (तीन) की प्रविष्टि क्रमांक (3) में, अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "1.5 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 19 का संशोधन.
4. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में, शब्द "तीन कैलेण्डर वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच कैलेण्डर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 22 का संशोधन.
5. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (7) में, अंक एवं शब्द "12 प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "अठ्ठारह प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 25 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (2) में, शब्द "साठ लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 41 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

धारा 49 का संशोधन.

"(घ) कोई पुनरीक्षण, तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि व्यापारी या व्यक्ति, कर निर्धारण आदेश के अनुसार कुल देय राशि में से, ऐसे कर और ब्याज की राशि, जो उनके द्वारा देय होना मान्य हो, का भुगतान नहीं कर देता।"

CHHATTISGARH ACT

(No. 14 of 2013)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2013.

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force from 1st April, 2013. | |
| 2. | In clause (a) of sub-section (2) of Section 10 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "fifty lacs", the words "sixty lac" shall be substituted. | Amendment of Section 10. |
| 3. | In entry number (3) of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19 of the Principal Act, for the figure and word "1 per cent", the figure and word "1.5 per cent" shall be substituted. | Amendment of Section 19. |
| 4. | In sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, for the words "three calendar years", the words "five calendar years" shall be substituted. | Amendment of Section 22. |
| 5. | In sub-section (7) of Section 25 of the Principal Act, for the words "twelve per cent", the words "eighteen per cent" shall be substituted. | Amendment of Section 25. |

6. In sub-section (2) of Section 41 of the Principal Act, for the words "sixty lacs", the words "one crore" shall be substituted.

**Amendment of
Section 41.**

7. In sub-section (1) of Section 49 of the Principal Act, after clause (c) the following shall be added, namely:-

**Amendment of
Section 49.**

"(d) No revision shall be admitted unless the dealer or the person has paid the tax and interest admitted to be payable by him out of the total amount due as per the assessment order."